1) 34

806- आयोजनागत

संख्याः /XI/2011 56 (53)2009

प्रेषक,

ओम प्रकाश,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उत्तराखण्ड, पौड़ी।

ग्राम्य विकास अनुभाग देहरादूनः दिनांकः 17 जून, 2011

विषयः– प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजनान्तर्गत निर्मित सड़कों की मरम्मत के लिए राज्य सेक्टर से धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्याः 268/5–लेखा–146/पी0एम0जी0एस0वाई0– अनुरक्षण/2010–11 दिनॉक 3–5–2011 एवं मुख्य अभियन्ता एवं उपमुख्य कार्यकारी, उत्तराखण्ड ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, देहरादून के पत्र संख्याः 106/पी0–05 (राज्यमद) यू0आर0आर0डी0ए0 दिनॉक 13–5–2011 के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजनान्तर्गत फेज–III से फेज–VII तक निर्मित मार्गों के अनुरक्षण/मरम्मत हेतु वित्तीय वर्ष 2011–12 में कुल रू0 680.30 लाख (रूपये छः करोड़ अस्सी लाख तीस हजार मात्र) की धनराशि आपके निर्वतन पर रखते हुए निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन नियमानुसार व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

1. अवमुक्त की जा रही धनराशि नियमानुकूल आहरित कर नियमानुसार व्यय हेतु प्रश्नगत धनराशि मुख्य अभियन्ता, यू0आर0आर0डी0ए0 देहरादून को हस्तान्तरित की जायेगी।
2. प्रश्नगत धनराशि का आहरण स्वीकृत परिव्यय की सीमा तक ही किया जायेगा। धनराशि के दोहरे आहरण एवं भुगतान के लिए संबंधित आहरण वितरण अधिकारी एवं मुख्य अभियन्ता, यू0आर0आर0डी0ए0 देहरादून उत्तरदायी होगें।
3. स्वीकृत धनराशि को आवश्यकतानुसार ही आहरण किया जाय।
4. स्वीकृत की जा रही धनरशि का व्यय अनुरक्षण के मानक और विशिष्टियों के अनुसार ही किया जाय, और यदि संबंधित मार्ग के लिए दैवी आपदा से क्षतिपूर्ति हुई हैं, या की जाय, तब लम्बाई के मानक के अनुसार विभागीय बजट की धनराशि शासन को यथासमय समर्पित कर दी जायेगी। कितने कि0मी0 मार्ग का अनुरक्षण विभाग द्वारा किया गया है, और कितनी धनराशि व्यय की गई है, इसका मासिक विवरण शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

5. वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड V भाग–1 के प्राविधानों की सभी औपचारिकतायें पूर्ण होने, एवं उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली–2008 का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए धनराशि व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी का अनुमोदन प्राप्त किया जाय।
6. कार्य कराने से पूर्व प्रत्येक कार्य का पृथक–पृथक विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जाय।
7. यदि प्रश्नगत कार्यों में से किसी कार्य के लिए अन्य किसी विभागीय बजट से कोई धनराशि स्वीकृत की जाती है तो उस योजना/ कार्य हेतु इस शासनादेश द्वारा अवमुक्त की जा रही धनराशि शासन को यथासमय समर्पित की जायेगी।
8. अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के रूप में अवमुक्त धनराशि उन्हीं जातियों के कल्याणार्थ कराये जा रहे विकास कार्यों पर ही व्यय की जाय।
9. अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपभोग दिनॉक 31.3.2012 तक करते हुए अवशेष अप्रयुक्त धनराशि यथासमय समर्पित किया जाना सुनिश्चित करें।
10. योजना के संबंध में समय–समय पर भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा निर्गत दिशा निर्देशों एवं मितव्ययता संबंधी निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
11. स्वीकृति/व्यय से संबंधित रजिस्ट्रर रख जाय तथा व्यय की सूचना अद्यतन करते हुए तत्संबधी आख्या निर्धारित प्रपत्र बी0एम013 पर प्रत्येक माह की 05 तरीख तक शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।
12. उपरोक्त प्रस्तर–1 से 11 तक के दिशा निर्देशों में विचलन होने की स्थिति में इसकी सूचना तत्काल वित्त विभाग को उपलब्ध करायी जाय।

2– मार्गों के अनुरक्षण पर धनराशि का आवंटन/व्यय निर्धारित मानकों के अन्तर्गत ही सुनिश्चित किया जाय, साथ ही इस बात का भी ध्यान रखा जाय कि उक्त मार्ग के अनुरक्षण पर किसी अन्य विभाग/मद से कोई धनराशि व्यय न हुई हो।

3– इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 के आय–व्यय की अनुदान संख्या–19 के अधीन लेखाशीर्षक 4515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय–102– सामुदायिक विकास–आयोजनागत– 06– प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत निर्मित सड़कों की मरम्मत–24– वृहत निर्माण कार्य की मद से **रू0 539.24 लाख** तथा अनुदान संख्या–30 के अधीन लेखाशीर्षक 4515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत 102– सामुदायिक विकास– आयोजनागत– 03– प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत निर्मित सड़कों की मरम्मत –24 – वृहत निर्माण कार्य की मद से

रू0 133.06 लाख तथा अनुदान संख्या– 31 के अधीन लेखा शीर्षक 4515– अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय–102 सामुदायिक विकास–आयोजनागत– 03– प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत निर्मित सड़कों की मरम्मत–24 वृहत निर्माण कार्य की मद से **रू0 8.00 लाख** के नामें डाला जायेगा।

4– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्याः 55(P)/XXVII (4)/2011 दिनॉक 15 जून, 2011 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(ओम प्रकाश)
सचिव

संख्याः 806 (1)/XI/2011 56(53)2009 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) कार्यालय महालेखाकार, वैभव पैलेस, सी–1,/105, इन्दिरा नगर, देहरादून।
2– महालेखाकार, (ए एण्ड ई), ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, सहारनपुर, रोड़, माजरा, देहरादून।
3– आयुक्त गढ़वाल मण्डल, पौड़ी /कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
4– समस्त जिलाधिकारी,उत्तराखण्ड।
5– समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6– निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड, 23 लक्ष्मी रोड़, देहरादून।
7– निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र उत्तराखण्ड, देहरादून ।
8– निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड को मा0 मुख्यमंत्री जी के अवलोकनार्थ।
9– निजी सचिव, मा0 ग्राम्य विकास मंत्री, उत्तराखण्ड को मा0 मंत्री जी के अवलोकना
10– निजी सचिव मुख्य सचिव उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय केअवलोकन
11– समस्त मुख्य विकास अधिकारी/जिला विकास अधिकारी, उत्तराखण्ड।
12– वित्त अनुभाग–4, उत्तराखण्ड शासन।
13– मुख्य अभियन्ता, उत्तराखण्ड ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण,सहस्त्रधारा रोड़, देहरादून।
14– नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन ।
15– एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर।
16– गार्ड फाईल

आज्ञा से,

(एस0सी0 बड़ोनी)
अपर सचिव